कार्यालय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा (म.प्र.)
खेल परिसर के सामने, सांची रोड, विदिशा (म.प्र.) 464001, दूरभाष–07592–297254
E-Mail:- dean.vds@mp.gov.in Website:- www.gmcvidisha.org

क्रमांक /1490/स्था./राज/विज्ञप्ति–14 (शैक्षणिक)/24 विदिशा/दिनांकः– 01/02/2024

//विज्ञप्ति//

मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 2–53/2017/1/55 दिनांक 12.01.2018 द्वारा मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018 के अन्तर्गत अटल बिहारी वाजपेयी, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, विदिशा के अधीन निम्नलिखित चिकित्सा शिक्षकों के **रिक्त पदों की पूर्ति वर्तमान में संचालक चिकित्सा शिक्षा के पत्र क्र.416/स्था./राज/2022 भोपाल दिनांक 22/04/2022 के द्वारा प्राप्त अनुसूची एवं एन.एम.सी. के नवीन मापदण्ड / आवश्यकतानुसार की जाना है।**

आवेदन पत्र हेतु आवेदन शुल्क अनारक्षित श्रेणी हेतु रू. 1000/– तथा आरक्षित श्रेणी (अ.जा, अ.ज.जा. एवं अ.पि.वा.) हेतु रू. 750/– है। आवेदक आवेदन पत्र हेतु निम्नानुसार अटल बिहारी वाजपेयी स्वशासी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के खाते में जमा कर उसकी रसीद आवेदन के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करें।

Accounts Details :- A/C Holder :- GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE VIDISHA, Bank Name- State Bank Of India, Nagar Palika Prangan, Main Market, Vidisha Branch, Account No. 37776231545 IFSC Code – SBIN0030075

इस हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है एवं **आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथिः– 22/02/2024 सायं 05.00 बजे तक है।**

ASSOCIATE PROFESSOR/ ASSISTANT PROFESSOR (Direct Recruitment)

S.No.	Subject/ Department	ASSOCIATE PROFESSOR				ASSISTANT PROFESSOR			
		UR	SC	ST	OBC	UR	SC	ST	OBC
1	Microbiology	-	-	-	-	-	-	-	1
2	General Medicine	-	-	-	-	1	-	1	1
3	General Surgery	-	-	-	-	-	1	1	-
4	Orthopedics	-	-	-	-	-	-	1	-
5	Anesthesia	-	-	-	-	-	-	1	-
6	Obs & Gyne	1	-	-	-	-	-	1	1
7	Pediatrics	-	-	-	-	-	-	1	-
8	ENT	-	-	-	-	-	-	-	1
Total Department 08 Total Post -13		Total UR- 1				(UR- 1, SC-1, ST-6, OBC-4) Total – 12			

PROFESSOR/ASSOCIATE PROFESSOR/ ASSISTANT PROFESSOR (Promotion /Direct Recruitment)

S.No.	Subject/ Department	Process of Direct Recruitment will be followed for below posts Advertised if no Eligible candidate is available (समय समय पर जारी म.प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग भोपाल के एवं शासन के अन्य आदेश)											
		PROFESSOR				ASSOCIATE PROFESSOR				ASSISTANT PROFESSOR			
		UR	SC	ST	OBC	UR	SC	ST	OBC	UR	SC	ST	OBC
1	General Medicine	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
2	Obs & Gyne	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
3	Dermatology	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Radiodiagnosis	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
5	Psychiatry	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Anesthesia	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Community Medicine	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Total Department -07 Total Post - 08		Total UR- 4				UR- 2, ST-1 Total= 3				Total UR- 1			

(यह नियुक्तियाँ नवीन आरक्षण के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय में प्रचलित प्रकरण के अध्याधीन होंगी।)

नोट :– आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के आवेदनों को स्वतः ही अनारक्षित श्रेणी के पदों के लिये मान्य किया जावेगा।
उपरोक्त चिन्हित पदों में SC = अनुसूचित जाति, ST = अनुसूचित जनजाति, OBC = अन्य पिछडा वर्ग, F से चिन्हित पद महिला उम्मीदवार हेतु आरक्षित है।

नोट :– पदों की संख्या अधिक/कम एवं परिवर्तित की जा सकती है। अभ्यार्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य हैं। अभ्यार्थी का आधार के माध्यम से (E-KYC) आवेदन पत्र ही मान्य होगा।

कार्यालय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा (म.प्र.)
खेल परिसर के सामने, सांची रोड, विदिशा (म.प्र.) 464001, दूरभाष–07592–297254
E-Mail:- dean.vds@mp.gov.in Website:- www.gmcvidisha.org

1. वेतनमान – नियमित नियुक्ति हेतु

प्राध्यापक – अकादमिक स्तर–14, मेट्रिक्स वेतन–1,44,200/–
(6वें वेतनमान 37400–67000+ग्रेड–पे 10000 के अनुरूप)

सह प्राध्यापक – अकादमिक स्तर–13A मेट्रिक्स वेतन–1,31,400/–
(6वें वेतनमान 37400–67000+ ग्रेड–पे 9000/– के अनुरूप)

सहायक प्राध्यापक – अकादमिक स्तर–11, मेट्रिक्स वेतन–68,900/–
(6वें वेतनमान 18600–39100+ ग्रेड–पे 7000/–के अनुरूप)

टीप –समस्त पदो के लिये राज्य शासन द्वारा समय समय पर स्वीकृत वेतनमान/निश्चित मानदेय एवं अन्य भत्ते आदि देय होगे।

2. **आयु सीमा –**

		न्यूनतम
प्राध्यापक	–	35 वर्ष
सह प्राध्यापक	–	30 वर्ष
सहायक प्राध्यापक	–	25 वर्ष

टीप – आयु की गणना 01 जनवरी 2024 को आधार मानकर गणना में ली जावेगी।

3. पदो पर आरक्षण राज्य शासन के द्वारा समय समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा ।

- **जाति प्रमाण पत्र : आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जायेगा।**

4. **अर्हताये :–**

- भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्/एन.एम.सी द्वारा शैक्षणिक पद विशेष के लिए निर्धारित अर्हता।
- एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एवं बायोकेमिस्ट्री विभाग में ऐसे गैर चिकित्सा स्नातकों को सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्त किया जा सकता है, जिनके पास एमएससी (प्रासंगिक चिकित्सा) और पीएचडी योग्यता होगी, जो कि मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज/संस्थान द्वारा संबंधित विषय में परिसर पाठ्यक्रम पर नियमित छात्र के रूप में प्रदान की गई हो। परन्तु यह कि शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता के संबंध में 5 दिसम्बर 1998 को चिकित्सा संस्थान अधिनियम 1998 के लागू होने से पहले एमएससी डिग्री के आधार पर एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माईक्रोबायोलॉजी एवं फार्माकोलॉजी के विषयों में सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त गैर चिकित्सा स्नातक सहायक प्राध्यापक के रूप में विचार किये जाने के पात्र होंगे। हालांकि शिक्षण के उच्च पद पर पदोन्नति के लिये संबंधित चिकित्सा विषयों में पीएचडी की डिग्री आवश्यक है।
- एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माईक्रोबायोलॉजी एवं फार्माकोलॉजी विभाग में गैर चिकित्सा शिक्षकों कि नियुक्ति की सीमा विभाग में कुल पदों की संख्या के 30 प्रतिशत होगी। बायोकेमिस्ट्री विभाग में गैर चिकित्सा शिक्षकों को कुल पदों की संख्या के 50 प्रतिशत तक नियुक्त किया जा सकता है।
- **भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्/एन.एम.सी. द्वारा विभिन्न पदों हेतु अनुभव की गणना दिनांक– 22/02/2024 तक कि अवधि तक मान्य की जावेगी।**
- **एम.सी.आई./ एन.एम.सी. के नियम जो कि विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक के पूर्व प्रचलित नियम हैं वही मान्य होंगे।**

5. **निरर्हतायें –**

5.1 विकृत चित्त वाला होने पर।

5.2 दुश्चरित्र होने पर।

5.3 शारीरिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति अपने कर्तव्य बोध एवं दायित्व को पूरा नहीं कर सकता हो।

5.4 नियुक्ति के लिये प्रयास/अनुशंसा – किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिये से किया गया कोई भी प्रयास/अनुशंसा उसके लिये अनर्हकारी माना जायेगा।

5.5 **विवाह संबंधी**– जिस उम्मीदवार ने न्यूनतम निर्धारित आयु (पुरूष वर्ग के लिये 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिये 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया होगा उसे इन पदों पर चयन हेतु अयोग्य माना जायेगा। कोई भी ऐसे महिला/पुरूष उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे पुरूष/महिला से विवाह किया हो, जिसकी पहले से जीवित पत्नी/पति हो, ऐसे महिला/पुरूष नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे।

5.6 जिस आवेदक की दो से अधिक संतान हो एवं जिसमें से तीसरी संतान का जन्म दिनांक 26.01.2001 को या उसके पश्चात हुआ हो, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। (जीवित संतानों के विवरण हेतु आवेदक शपथ पत्र प्रस्तुत करें।)

5.7 कूट रचित/फर्जी दस्तावेज एवं चयन के स्तर पर जानकारी छिपाये जाने/अभिलेख फेरबदल कर प्रस्तुत करने पर।

//निरंतर पृष्ठ क्र.–3//

कार्यालय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा (म.प्र.)
खेल परिसर के सामने, सांची रोड, विदिशा (म.प्र.) 464001, दूरभाष–07592–297254
E-Mail:- dean.vds@mp.gov.in Website:- www.gmcvidisha.org

5.8 **कदाचरण संबंधी** – किसी भी ऐसे उम्मीदवार को नियुक्त नहीं किया जावेगा, यदि उसने शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के लिये परिणामस्वरूप पदच्युत कर दिया गया हो या यदि उसे नैतिक पतन के अपराध पर दोषी सिद्ध ठहराया गया हो।

5.9 ऐसा उम्मीदवार जिसके विरूद्ध नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय मे विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के आपराधिक मामले में दोषी सिद्ध हुआ हो।

5.10 **स्वास्थ्य संबंधी** – चिकित्सा महाविद्यालय के चिकित्सक जिसका पद सिविल सर्जन से कम न हो, के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण पश्चात् शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ न पाया जाना।

6. चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति प्रथमतः **एक वर्ष की अवधि** के लिये परीवीक्षा पर की जायेगी।

7. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में सेवारत व्यक्ति, जो सीधी भर्ती के पद के लिये अर्हताधारी हो सीधी भर्ती के पद के विरूद्ध आवेदन देने के लिये स्वतन्त्र होगा परन्तु ऐसे आवेदन के लिये उसे नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा ।

8. चिकित्सा शिक्षकों को उनके पद के अनुरूप कर्त्तव्यों का तथा समय–समय पर सौपे गये प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करना होगा।

9. ऐसे चिकित्सा शिक्षक जिनकी नियुक्ति राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 1987 के तहत की हो के द्वारा उच्च पद के लिये आवेदन किया जाता है और यदि उसका चयन किया जाता है तो वह स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में ऐसे वरिष्ठ पद पर लिया जा सकेगा।

10. आवेदक का चयन होने पर उसे 65 वर्ष की उम्र अथवा नियुक्ति दिनांक से 03 वर्ष, जो भी पहले हो तक संबंधित स्वशासी महाविद्यालय में सेवायें देनी होगी। आवेदक को इस बाबत् सम्यक रूप से स्टांपित एक बांड नियुक्ति के समय भरना होगा एवं इस शर्त के उल्लंघन पर उसे एक वर्ष के वेतन/मानदेय के बराबर की राशि महाविद्यालय को चुकानी होगी ।

11. **आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि** :– अटल बिहारी वाजपेयी, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, विदिशा में आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम दिनांक :– 22/02/2024 सायं 05.00 बजे तक है, निर्धारित प्रारूप में पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र, समस्त दस्तावेजों सहित, डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता, अटल बिहारी वाजपेयी, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, विदिशा की आवक शाखा में जमा कराये जा सकते हैं। आवेदन पत्र के लिफाफे पर स्पष्ट रूप से शैक्षणिक संवर्ग हेतु आवेदित विषय तथा आवेदित पद का नाम और आरक्षित/अनारक्षित श्रेणी का उल्लेख अनिवार्य रूप से करें। किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नही किया जायेगा। साक्षात्कार की तिथि निर्धारित किये जाने की जानकारी एवं इस संबध में किसी भी प्रकार के अन्य संशोधन किये जाने की जानकारी इस संस्था की वेबसाइट **www.gmcvidisha.org** पर जारी की जाएगी। अभ्यार्थी एक से अधिक पदों पर आवेदन कर सकता है, परन्तु उसे समस्त पदों के लिए पृथक–पृथक आवेदन करना होगा एवं साथ ही साथ आवदेन शुल्क भी पृथक–पृथक देना होगा।

12. चयन प्रक्रिया हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नही होगा।

13. उपरोक्त विज्ञापन, आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप, स्क्रूटनी तिथि, शोर्ट लिस्टेड उम्मीदवार की सूची, साक्षात्कार दिनांक, परिणाम सहित अन्य समस्त जानकारी इस संस्था की वेबसाईट **www.gmcvidisha.org** पर समय समय पर उपलब्ध कराये जायेंगे। फोन, ई–मेल तथा पत्राचार माध्यम के बजाय चयन प्रक्रिया संबंधी समस्त जानकारी संस्था की वेबसाईट पर उपलब्ध रहेगी।

महत्वपूर्ण टीप :– यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदनकर्ता की होगी कि वे अपने आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हतायें और शर्तो को पूरा करते हों। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर ले ओर अर्हता की समस्त शर्ते पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरे। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी। आवेदक के विरूद्ध पुलिस प्रकरण अथवा किसी भी प्रकार की जांच न हो जिसके कारण आवेदक की नियुक्ति प्रभावित होती हो, इस आशय से संबंधित घोषणा पत्र जो की आवेदन के प्रारूप में दिया गया है। यह शर्त भी उसमें समाहित रहेगी।

(डॉ. सुनील नन्देश्वर)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, विदिशा